सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2024 / 442 दर्ज तिथिः—23.09.2024

1. जुझी पुत्री देवाराम
2. जोगाराम पुत्र देवाराम
3. जगदीश पुत्र देवाराम
   वादीगण नाबालिग जरिए कुदरती वलिया एवं वाद मित्र
   माता भंवरी पत्नी देवाराम
   जाति जाट निवासी आदर्श आडेल तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. देवाराम पुत्र प्रभूराम
2. रेखाराम पुत्र प्रभुराम
3. तुलसी पत्नी प्रभुराम
4. घमण्डाराम पुत्र हुकमाराम
5. सेम्भूराम पुत्र हुकमाराम
6. सोहनलाल पुत्र धर्माराम
   जाति जाट निवासी आदर्श आडेल।
7. तहसीलदार नौखड़ा।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय दिनांकः—29.09.2025

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

- कि आराजी खसरा संख्या 408/94/18.0896 है0 मौजा आदर्श आडेल तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
- कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01—05 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है—

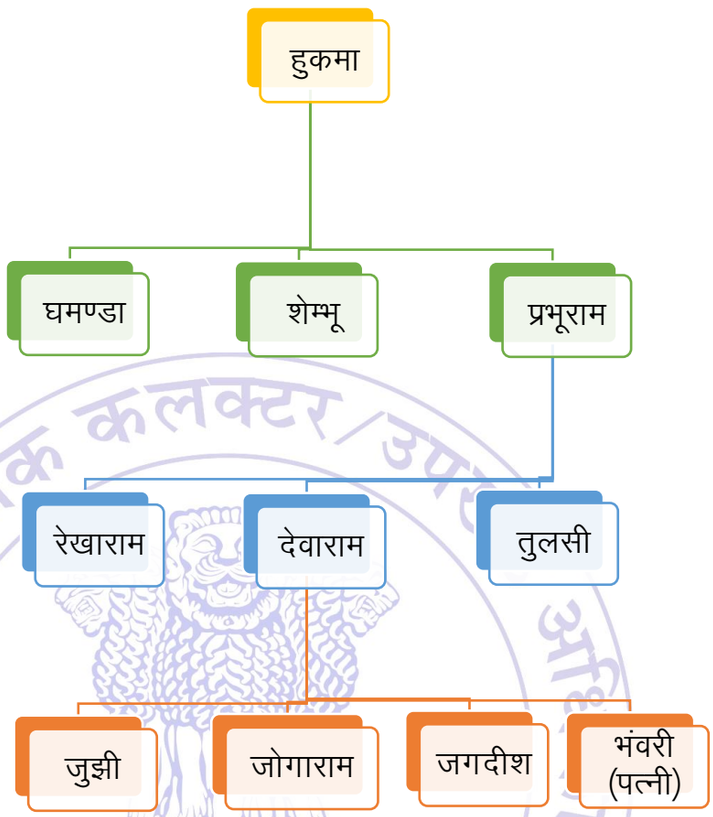

- वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01—05 का पुरूष पुर्वज हुकमा पुत्र भींयाराम था। वक्त बंदोबस्त मुतनाजा आराजी का पर्चा लगान प्रतिवादी संख्या 01 के पड़दादा हुकमा व उसके भाईयों के नाम से जारी हुआ। हुकमाराम के फौत होने पर पुत्र घमण्डा, शेम्भू व प्रभूराम का नाम रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया। तत्पश्चात् प्रभूराम के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 01 देवाराम, रेखाराम पुत्र प्रभुराम व माता तुलसी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया।
- कि मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 को पिता प्रभूराम से पैतृक संपति के रूप में प्राप्त हुई। इस आधार पर मुतनाजा आराजी पैतृक संपति है। उक्त पैतृक संपति में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 हिस्सा है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 के अनुसार पैतृक संपत्ति में पिता के जीवनकाल में सहदायिकों के जन्म से ही अधिकार निहित हो जाते है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 उक्त पैतृक आराजी में सहदायक है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त पैतृक संपति में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 हिस्से में प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा अर्थात् संपूर्ण आराजी में 1/72—1/72 हिस्सा व अधिकार निहित है।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण से दुष्प्रेरण रखता है। प्रतिवादी संख्या 01 अन्य प्रतिवादियों के साथ मिलकर वर्तमान में भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

वृद्धि होने के कारण गांव के भूमाफियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को लालच व प्रलोभन देकर व शराब पिलाकर अपने अनुचित प्रभाव में लेकर वादीगण की जानकारी के बिना उक्त पैतृक आराजी में भूमि का कुछ विशिष्ट व बेशकिमती भू—भाग का बेचान प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में कर दिया। उक्त बेचान वादीगण के हितों के प्रति आरम्भ से ही शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। प्रतिवादी उक्त बेचान के आधार पर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 01 उक्त पैतृक आराजी में आगे और बेचान करने पर आमादा है।

- कि प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 उक्त पैतृक आराजी में सहदायक है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त पैतृक संपति में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 हिस्से में प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा अर्थात् संपूर्ण आराजी में 1/72—1/72 हिस्सा व अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 01 उक्त पैतृक आराजी में आगे और बेचान करने पर आमादा है। इस कारण वादीगण को घोषणा का दावा प्रस्तुत करने का वादहेतुक उत्पन्न हुआ हैं।
- कि वादी के उक्त आधारों पर निम्न अनुतोष निवेदित हैः—
    1. उक्त मुतनाजा आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 408/94/18. 0896 है0 मौजा आदर्श आडेल तहसील नोखड़ा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जावे।
    2. प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में निष्पादित बयनामा वादीगण के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जावे।
    3. वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
    4. अन्य अनुतोष।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल उपस्थित न्यायालय में नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी वक्त बंदोबस्त खाता संख्या 271	प्रदर्श—पी01
नामांतरकरण संख्या 678	प्रदर्श—पी02
जमाबंदी संवत 2076—2079 खाता संख्या 19	प्रदर्श—पी03

4. प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
भंवरी पत्नी देवाराम	जाट	आदर्श आडेल	पी0डब्ल्यू—1
वेहनाराम पुत्र गुणेशाराम	जाट	टुकिया	पी0डब्ल्यू—2

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में भंवरी पत्नी देवाराम पी0डब्ल्यू—01, वेहनाराम पुत्र गुणेशाराम पी0डब्ल्यू—02 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—
   - वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस है। प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 05 तथा वादीगण का पुरूष पुर्वज हुकमा पुत्र भींयाराम था। वक्त बंदोबस्त मुतनाजा आराजी का पर्चा लगान प्रतिवादी संख्या 01 के पड़दादा हुकमा व उसके भाईयों के नाम से जारी हुआ। हुकमाराम के फौत होने पर पुत्र घमण्डा, शेम्भू व प्रभूराम का नाम रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया। तत्पश्चात् प्रभूराम के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 01 देवाराम, रेखाराम पुत्र प्रभुराम व माता तुलसी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया।
   - कि मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 को पिता प्रभूराराम से पैतृक संपति के रूप में प्राप्त हुई। इस आधार पर मुतनाजा आराजी पैतृक संपति है। उक्त पैतृक संपति में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 हिस्सा है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 के अनुसार पैतृक संपत्ति में पिता के जीवनकाल में सहदायिकों के जन्म से ही अधिकार निहित हो जाते है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 उक्त पैतृक आराजी में सहदायक है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त पैतृक संपति में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 हिस्से में प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा अर्थात् संपूर्ण आराजी में 1/72—1/72 हिस्सा व अधिकार निहित है।
   - कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण से दुष्प्रेरण रखता है। प्रतिवादी संख्या 01 अन्य प्रतिवादियों के साथ मिलकर वर्तमान में भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण गांव के भूमाफियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को लालच व प्रलोभन देकर व शराब पिलाकर अपने अनुचित प्रभाव में लेकर वादीगण की जानकारी के बिना उक्त पैतृक आराजी में भूमि का कुछ विशिष्ट व बेशकिमती भू—भाग का बेचान प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में कर दिया। उक्त बेचान वादीगण के हितों के प्रति आरम्भ से ही शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। प्रतिवादी उक्त बेचान के आधार पर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 01 उक्त पैतृक आराजी में आगे और बेचान करने पर आमादा है।
   - कि प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 उक्त पैतृक आराजी में सहदायक है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त पैतृक संपति में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 हिस्से में प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा अर्थात् संपूर्ण आराजी में 1/72—1/72 हिस्सा व अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 01 उक्त पैतृक आराजी में आगे और बेचान करने पर आमादा है। इस कारण वादीगण को घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।
   - इसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा—03 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

6. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 408/94/18.0896 है0 मौजा आदर्श आडेल तहसील नोखड़ा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में निष्पादित बयनामा वादी के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

7. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में अनुतोष संख्या 01 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष निम्न प्रकार हैंः—

> *1. उक्त मुतनाजा आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 408/94/18.0896 है0 मौजा आदर्श आडेल तहसील नोखड़ा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जावे।*

8. प्रकरण में अनुतोष संख्या 01 वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष मुतनाजा आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 408/94/18.0896 है0 मौजा आदर्श आडेल तहसील नोखड़ा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा घोषित करवाने से संबंधित है।

9. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से संबधित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का एक संयुक्त पूर्वज हुकमाराम है। हुकमाराम की फौत के पश्चात् विधिक वारिस तीन पुत्र क्रमशः घमण्डा, शेम्भू व प्रभूराम है। इसी प्रकार प्रभूराम की फौत के पश्चात विधिक वारिस रेखाराम, देवाराम व पत्नी तुलसी वारिस है। प्रकरण में देवाराम प्रतिवादी संख्या 01 है। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस है।

10. प्रकरण में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत अधिकार सृजित होने के आधार पर खातेदार के रूप में दर्ज होने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> **6. Devolution of interest in coparcenary property.—**
> *(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—*
> *(a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;*
> *(b) have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;*
> *(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:*
> *Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

11. उक्त उद्धरण अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 के अनुसार पुत्र व पुत्री को समान अधिकार व दायित्व दिये जाने के प्रावधान है। प्रकरण में तथ्य निर्विवादित है कि वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 की विधिक संतान हैं।

12. प्रकरण में मुतनाजा आराजी के पैतृक आराजी होने के बारे में विश्लेषण अपेक्षित है। इस संबंध सर्वप्रथम हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की संकल्पना को समझना आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
2. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
3. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के लागू होने के पश्चात धारा—8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।*
4. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

5. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम—2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।*

13. हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में पैतृक संपति एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति में समाहित पृथक संपति सम्मिलित होती है। पैतृक संपति एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति में समाहित पृथक संपति के मिलन से उत्पन्न सहदायिकी संपति को निम्न चित्र के माध्यम से समझा जा सकता हैः—

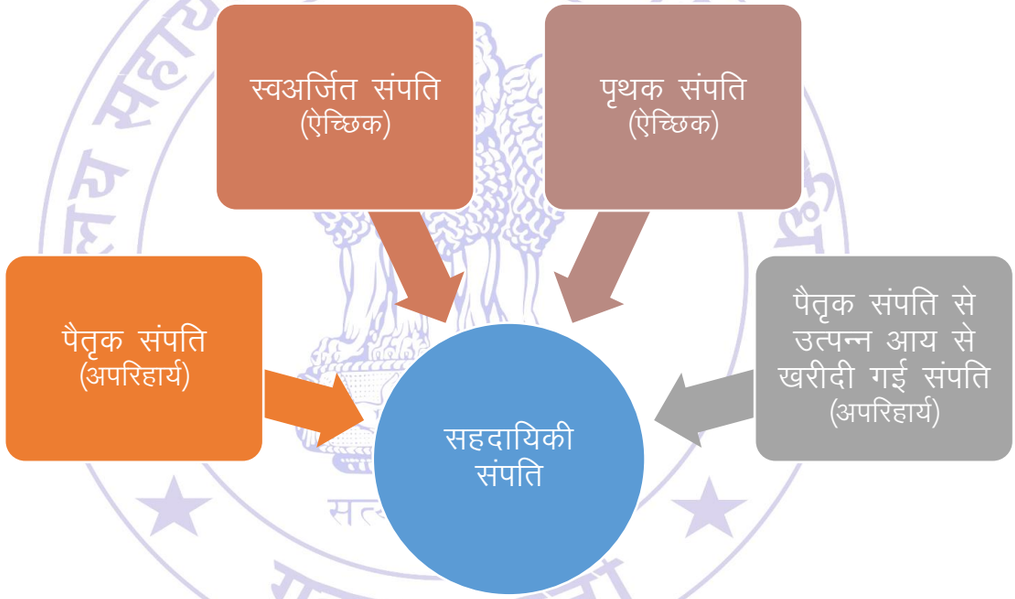

14. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि सहदायिकी संपति में पैतृक आराजी, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की पृथक संपति एवं पैतृक संपति से उत्पन्न आय से हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा क्रय की गई संपति शामिल होती है। सहदायिकी संपति की वृहत संकल्पना के निम्न अवयव होते हैः—

1. *सहदायिकी या हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी अनिवार्य रूप से सहदायक संपति में निहित रहती है।*
2. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की स्वअर्जित संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

3. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य को अन्य स्रोत यथा—वसीयत, दान व पैतृक आराजी के अतिरिक्त विरासत से प्राप्त संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की पृथक संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
4. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति से उत्पन्न आय से खरीद की गई संपति आवश्यक रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*
5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति को नुकसान पहुचाते हुए किसी सदस्य द्वारा खरीद की गई संपति अनिवार्य रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*

15. प्रकरण में वादीगण का अभिकथन है कि प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 05 तथा वादीगण का पुरूष पुर्वज हुकमा पुत्र भींयाराम था। वक्त बंदोबस्त मुतनाजा आराजी का पर्चा लगान प्रतिवादी संख्या 01 के पड़दादा हुकमा व उसके भाईयों के नाम से जारी हुआ। हुकमाराम के फौत होने पर पुत्र घमण्डा, शेम्भू व प्रभूराम का नाम रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया। तत्पश्चात् प्रभूराम के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 01 देवाराम, रेखाराम पुत्र प्रभुराम व माता तुलसी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया। इस प्रकार मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 को पिता प्रभूराराम से पैतृक संपति के रूप में प्राप्त हुई। इस आधार पर मुतनाजा आराजी पैतृक संपति है। प्रकरण में प्रदर्श—01 खतौनी बंदोबस्त के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी वक्त बंदोबस्त हुकमा के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई। इसी प्रकार प्रकरण में प्रदर्श—02 नामान्तरणकरण संख्या 678 दिनांक 20.06.2010 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रभूराम की फौतगी का नामान्तरण देवाराम, रेखाराम पिसरान प्रभुराम व तुलसी बेवा प्रभुराम के नाम दर्ज किया गया। इससे यह निष्कर्ष सामने आता है कि उक्त आराजी देवाराम की स्वअर्जित संपित नहीं होकर पैतृक आराजी है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 05 वादीगण साबित करने में सफल रहे है। इस कारण अनुतोष संख्या 05 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

16. प्रकरण में वादी द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है। इस आधार पर वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक आराजी में जन्म से ही हक व अधिकार सृजित होकर निहित है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की संतान होने तथा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादीगण उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के 1/18 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 के साथ प्रत्येक 1/5—1/5 हिस्से का हक रखते हैं। इस प्रकार अनुतोष संख्या 01 वादीगण साबित करने में सफल रहे है। इस कारण अनुतोष संख्या 01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

17. प्रकरण में अनुतोष संख्या 02 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में द्वितीय अनुतोष निम्न प्रकार हैंः—

    2. आया प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में निष्पादित बयनामा वादीगण के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

18. प्रकरण में अनुतोष संख्या 02 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार बेचान के पंजीकृत दस्तावेज को वादीगण के हक हिस्से तक आरंभ से ही शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने से संबंधित है। इस संबंध में वादी का अभिकथन है कि प्रतिवादी संख्या 01 को मुतनाजा आराजी के पैतृक होने तथा वादीगण का जन्म से ही हक निहित होने के कारण अपने 1/4 हिस्से से अधिक आराजी को बेचने का कोई अधिकार नहीं होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में किया गया बेचान आरंभ से ही शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है।

19. प्रकरण में वादीगण के पिता रामचन्द्र द्वारा पैतृक आराजी का बेचान किया गया है। इस संदर्भ में सबसे पहले हिन्दू परिवार के कर्ता की संकल्पना के बारे में समझना आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिंद्धांत है कि हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई हैः—

    1. *अगर पिता जीवित है तो पिता हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    2. *अगर पिता जीवित नहीं है तो परिवार का वरिष्ठ सदस्य हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    3. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी—छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। इन लघुतर हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई के पृथक—पृथक कर्ता हो सकते है।*
    4. *हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता पर अन्य सदस्यों से विशिष्ट स्थिति रखता है। हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता को संयुक्त परिवार के सदस्यों से सलाह मशविरा कर संयुक्त परिवार के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है।*

20. प्रकरण में वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 देवाराम के पुत्र, पुत्रियां व पत्नी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिन्दू संयुक्त परिवार का मुखिया देवाराम प्रतिवादी संख्या 01 ही है। इस संबंध में वादी का कोई खंडन नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

21. प्रकरण में वादीगण के पिता देवाराम द्वारा पैतृक आराजी का बेचान किया गया है। इस संदर्भ में सबसे पहले हिन्दू परिवार के कर्ता की भूमिका की संकल्पना के बारे में समझना आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिंद्धांत है कि हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के संबंध में न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

    1. *हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों के अतिरिक्त हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति का अंतरण नहीं कर सकता है।*
    2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
        - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
        - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
        - *धर्मार्थः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*
    3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत किये गए अंतरण से सभी सहदायक बाध्य होते है।*

22. इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति का अंतरण कर सकता है।*
    2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*
    3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की अनुपस्थिति में संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया/संरक्षक द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*

23. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका, प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित असंख्य न्यायिक दृष्टांतों के द्वारा सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा की व्याख्या की गई है। इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांतों द्वारा की गई विवेचना का उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है। इस संबध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ***CS (OS) 1789/2014*** बउनवान ***Suraj Bhan Bansal vs Rakesh Bansal*** में दिनांक 12.03.2019 को दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *21. Property belonging to a HUF can only be sold or altered by the karta, for the benefit of the family, a pious obligation, or in distress. Mayne's Treatise on Hindu Law and Usage1 opines as under:*
>
> *Dr. Virender Kumar (Ed), Mayne's Treatise on Hindu Law and Usage, 17th Edn., 2017 (Bharat Law House, New Delhi), at page 964.*
> ***"384. Mitakshara text discussed.** - The power of a managing member to make an alienation is confined according to the Mitakshara to three purposes: (1) in the time of distress (apatkale); (2) for the sake or benefit of the family (kutumbarthe); and (3) for pious purposes (dharmarthe). The meaning of the terms if explained by the Mitakshara: "Time of distress" refers to a distress which affects the whole family; „for the sake of the family" means „for its maintenance; and „pious purposes" are described as indispensable acts of duty such as the obsequies of the ancestors".*

24. इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
        - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
        - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
        - *धर्मार्थः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*

25. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3264/2011 बउनवान ***Kehar Singh (D) Thr. Lrs. vs Nachittar Kaur*** में दिनांक 20.08.2018 को दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

22) Mulla in his classic work "Hindu Law" while dealing with the right of a father to alienate any ancestral property said in Article 254, which reads as under:

"Article 254
***254. Alienation by father** – A Hindu father as such has special powers of alienating coparcenary property, which no other coparcener has. In the exercise of these powers he may:*

(1) make a gift of ancestral movable property to the extent mentioned in Article 223, and even of ancestral immovable property to the extent mentioned in Article 224;

(2) sell or mortgage ancestral property, whether movable or immovable, including the interest of his sons, grandsons and great-grandsons therein, for the payment of his own debt, provided the debt was an antecedent debt, and was not incurred for immoral or illegal purposes (Article294)."

23) What is legal necessity was also succinctly said by Mulla in Article 241, which reads as under:

"Article 241
***241. What is legal necessity**- The following have been held to be family necessities within the meaning of Article 240:*

(a) payment of government revenue and of debts which are payable out of the family property;
(b) Maintenance of coparceners and of the members of their families;
(c) Marriage expenses of male coparceners, and of the daughters of coparceners;
(d) Performance of the necessary funeral or family ceremonies;
(e) Costs of necessary litigation in recovering or preserving the estate;
(f) Costs of defending the head of the joint family or any other member against a serious criminal charge;
(g) Payment of debts incurred for family business or other necessary purpose. In the case of a manager other than a father, it is not enough to show merely that the debt is a pre-existing debt;

The above are not the only indices for concluding as to whether the alienation was indeed for legal necessity, nor can the enumeration of criterion for establishing legal necessity be copious or even predictable. It must therefore depend on the facts of each case. When, therefore, property is sold in order to fulfil tax obligations

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

incurred by a family business, such alienation can be classified as constituting legal necessity." (see Hindu Law by Mulla "22nd Edition")

xxx

26) It has come in evidence that firstly, the family owed two debts and secondly, the family also needed money to make improvement in agriculture land belonging to the family. Pritam Singh, being a Karta of the family, had every right to sell the suit land belonging to family to discharge the debt liability and spend some money to make improvement in agriculture land for the maintenance of his family. These facts were also mentioned in the sale deed.

26. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1737 / 2021 बउनवान ***Beereddy Dasareatharami Reddy vs V. Manjunath*** में दिनांक 13.12.2021 को दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना / अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

6. Right of the Karta to execute agreement to sell or sale deed of a joint Hindu family property is settled and is beyond cavil vide several judgments of this Court including Sri Narayan Bal and Others v. Sridhar Sutar and Others,2 wherein it has been held that a joint Hindu family is capable of acting through its Karta or adult member of the family in management of the joint Hindu family property. A coparcener who has right to claim a share in the joint Hindu family estate cannot seek injunction against the Karta restraining him from dealing with or entering into a transaction from sale of the joint Hindu family property, albeit post alienation has a right to challenge the alienation if the same is not for legal necessity or for betterment of the estate. Where a Karta has alienated a joint Hindu family property for value either for legal necessity or benefit of the estate it would bind the interest of all undivided members of the family even when they are minors or widows. There are no specific grounds that establish the existence of legal necessity and the existence of legal necessity depends upon facts of each case. The Karta enjoys wide discretion in his decision over existence of legal necessity and as to in what way such necessity can be fulfilled. The exercise of powers given the rights of the Karta on fulfilling the requirement of legal necessity or betterment of the estate is valid and binding on other coparceners.

xxx

9. On the question of satisfaction of the condition of legal necessity, the stand of the respondents is contradictory, for they have pleaded in the written statement and even before us that the joint Hindu family was in need of funds, which shows legal necessity. In fact, as recorded above, the need for funds is duly reflected and so stated in the agreement to sell dated 8 th December 2006 which states that the

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

executants were in need of funds to meet domestic necessities and, therefore, had agreed to sell the suit property. It is also an undisputed position that the suit property was encumbered in favour of the State Bank of Mysore, Adivala Branch, and the executants had informed that the dues of the bank would be cleared to release the mortgage before the date of registration. In Kehar Singh (supra), on the question what is legal necessity, reference was made to Article 241 from Mulla's Hindu Law which states that maintenance of coparceners, family members, marriage expenses, performance of necessary funerals or family ceremonies, costs of necessary litigation for recovering or preserving estate, etc. fall and have been held to be family's necessities. Further, the instances are not the only indices for concluding whether the alienation was in need for legal necessity as enumeration on what would be legal necessity is unpredictable and would depend upon facts of each case. Thus, we are of the opinion that the agreement to sell cannot be set aside on the ground of absence of legal necessity.

27. इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना / अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण कर सकता है।*
2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता का आचरण विवेकपूर्ण पुरूष के समान होना आवश्यक है।*
4. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु अंतरण एवं संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का युक्तियुक्त होना आवश्यक है।*

28. इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है। हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा *आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ* अंतरण कर सकता है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के सहदायिकी संपति के प्रबंधन / अंतरण के पश्चात ही कर्ता द्वारा अंतरण के विरूद्ध अन्य सहदायक को कर्ता द्वारा अंतरण को विधिक आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अंतरण किए जाने के आधार पर ही कर्ता द्वारा किए गए अंतरण को निष्फल करवाने का विकल्प / उपचार उपलब्ध है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

29. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपनी आराजी का बेचान को प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में किया है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 देवाराम ने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी पैतृक आराजी को बेचने का निर्णय लिया। विक्रेता देवाराम पुत्र प्रभुराम ने अपने परिवार की आवश्यकताओं हेतु रूपयों की जरूरत होने के लिए संपति का बेचान किए जाने बाबत् पंजीकृत बयनामा में स्पष्ट अभिकथन किया है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 06 को पंजीकृत बयनामा द्वारा मुतनाजा आराजी का परिवार की विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण को वादीगण पर बाध्यकारी है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 02 को वादीगण साबित करने में असफल रहे है।

30. प्रकरण मे यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त मुतनाजा आराजी मे 1/18 हिस्सा निहित है। उक्त प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त मुतनाजा आराजी मे 1/18 हिस्सा के अनुसार कुल आराजी मे प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से मे 10050 वर्ग मीटर भूमि आती है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त मुतनाजा आराजी मे 1/18 हिस्सा के अनुसार कुल आराजी मे प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से मे 10050 वर्ग मीटर भूमि मे से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/5—1/5 हिस्से अनुसार प्रत्येक को 2010 वर्ग मीटर भूमि हिस्से मे आती है। प्रकरण मे उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त मुतनाजा आराजी मे अपने स्वतंत्र 1/90 हिस्से में आई आराजी 2010 वर्ग मीटर मे से केवल 1619 वर्ग मीटर भूमि का बेचान किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा केवल अपने हिस्से मे से आंशिक आराजी का बेचान किया जाकर वादीगण के हिस्से की आराजी का बेचान नही किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में किया गया बेचान वैध है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर वादीगण का हक आवश्यक रूप से निहित है। यहा इस प्रकार अनुतोष संख्या 02 वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

31. प्रकरण में अब अनुतोष संख्या 03 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में अनुतोष संख्या 03 निम्न प्रकार है—

    1. वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

32. प्रकरण में अनुतोष संख्या 03 स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;
(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

33. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

34. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में अनुतोष संख्या 01 के अनुसार मुतनाजा आराजी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा के स्वीकार होने पर परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 01 व 06 का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 व 06 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए दखलअंदाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

35. प्रकरण में न्यायालय अपने विनम्र मत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 के तहत वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 की संतान होने तथा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की आराजी पर वादीगण का मुतनाजा आराजी पर प्रत्येक का 1/5—1/5 हिस्से का हक निहित होना पाता हैं। इस आधार पर प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—06 के तहत इस प्रकार वादीगण का देवाराम की संपति में कानूनन हक निहित होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा को वादीगण के पक्ष में स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में न्यायालय अपने विनम्र मत में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में पंजीकृत बयनामा को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी नहीं पाने के कारण पंजीकृत बयनामा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अपना सम्पूर्ण हक प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में अंतरित कर दिया है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी में से पंजीकृत बयनामा के द्वारा अंतरित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 06 की खातेदारी कायम रखी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

जाती है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में कुल 05 बीघा 04 बिस्वा आराजी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 01 अपने पूर्व हिस्से अनुसार दर्ज आराजी रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा में से रकबा 01 बीघा आराजी का अंतरण जरिये पंजीबद्ध बयनामा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में कर दिया गया। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी आराजी रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा निहित है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज पूर्व खातेदारी आराजी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के प्रत्येक के हिस्से में 01 बीघा 04 बिस्वा आराजी हिस्से में आनी अपेक्षित थी। तत्पश्चात् प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने हक हिस्से की आराजी में से 01 बीघा भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में निष्पादित कर दिया। ऐसी स्थिति में वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में उक्त हिस्सानुसार 04 बिस्वा आराजी शेष रही एवं वादीगण प्रत्येक के हिस्से की 01 बीघा 04 बिस्वा आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में उक्त हिस्सानुसार शेष रही 04 बिस्वा आराजी पर एवं वादीगण प्रत्येक के हिस्से की 01 बीघा 04 बिस्वा पर खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही मुतनाजा आराजी में से पंजीकृत बयनामा के द्वारा अंतरित भूमि के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज अन्य खातेदारी आराजी पर वादीगण को प्रत्येक को 1/5—1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इस आधार पर मुतनाजा आराजी में से पंजीकृत बयनामा के द्वारा अंतरित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 06 की खातेदारी कायम रखते हुए प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज अन्य खातेदारी आराजी खसरा संख्या 408/94/18.0896 है0 मौजा आदर्श आडेल तहसील नोखड़ा पर प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की आराजी पर वादीगण को प्रत्येक को 1/5—1/5 हिस्से अनुसार प्रत्येक को 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त बेचान के पश्चात हिस्से में शेष भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है एवं राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाकर वादीगण के सह खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।
आज 29.09.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2024 / 442 दर्ज तिथिः—23.09.2024

1. जुझी पुत्री देवाराम
2. जोगाराम पुत्र देवाराम
3. जगदीश पुत्र देवाराम
   वादीगण नाबालिग जरिए कुदरती वलिया एवं वाद मित्र
   माता भंवरी पत्नी देवाराम
   जाति जाट निवासी आदर्श आडेल तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. देवाराम पुत्र प्रभूराम
2. रेखाराम पुत्र प्रभुराम
3. तुलसी पत्नी प्रभुराम
4. घमण्डाराम पुत्र हुकमाराम
5. सेम्भूराम पुत्र हुकमाराम
6. सोहनलाल पुत्र धर्माराम
   जाति जाट निवासी आदर्श आडेल।
7. तहसीलदार नौखड़ा।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इस आधार पर मुतनाजा आराजी में से पंजीकृत बयनामा के द्वारा अंतरित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 06 की खातेदारी कायम रखते हुए प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested

01 के नाम दर्ज अन्य खातेदारी आराजी खसरा संख्या 408/94/18.0896 है0 मौजा आदर्श आडेल तहसील नोखड़ा पर प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की आराजी पर वादीगण को प्रत्येक को 1/5—1/5 हिस्से अनुसार प्रत्येक को 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त बेचान के पश्चात हिस्से में शेष भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है एवं राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाकर वादीगण के सह खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार नौखड़ा को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:16 IST
Reason: SelfAttested